

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -39/2017

अनवान : -

1. मेघसिंह पुत्र प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
2. मांगीलाल पुत्र भोपाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. लिछमा देवी पत्नी प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
2. जुगलाल पुत्र प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र पुत्र प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
4. दुर्गा देवी पुत्री प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
5. कलावती पुत्री प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
6. परमेश्वरी उर्फ राधा देवी प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
7. सन्तोष पुत्री प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
8. शकुन्तला पुत्री प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
9. मंजू पुत्री प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
10. कमलेश पुत्री प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
11. सन्तलाल पुत्र भोपाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
12. सीता देवी पुत्री भोपाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
13. बिमाल देवी पुत्री भोपाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
14. भगवन्ती पुत्री भोपाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
15. सुमित्रा उर्फ गुडी पुत्री भोपाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
16. पुष्पा देवी पुत्री भोपाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
17. भादरसिंह पुत्र गिरधारीलाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
18. हिरालाल पुत्र गिरधारीलाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
19. कृष्णा पुत्री गिरधारीलाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
20. पार्वती पुत्री गिरधारीलाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
21. नस्का देवी पुत्री गिरधारीलाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
22. कलावती देवी पुत्री गिरधारीलाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
23. धापा पुत्री गिरधारीलाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
24. मोमनराम पुत्र कुनणराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
25. तुलछीराम पुत्री कुनणराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
26. भूराराम पुत्री कुनणराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।

27. राम कुमार पुत्र कुनणराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर ।
28. सन्तोष पुत्री कुनणराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर ।
29. पूरा देवी पत्नी कुनणराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर ।
30. पूर्णी देवी पुत्री आशाराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर ।
31. भीखी देवी पुत्री आशाराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर ।
32. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त

अधि 1955

उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 02/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 29/29 के प0 नं0 338/428 (26) किला नं. 15, 16, 25 प्रत्येक की 0.2530 है0, प0 नं0 339/428 (25) किला नं. 6/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 6/2 की 0.2280 है0, 7 ता 14 प्रत्येक की 0.2530 है0, 15/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 15/2 की 0.2280 है0, 16/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 16/2 की 0.2280 है0, 17 ता 24 प्रत्येक की 0.2530 है0, 25/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 25/2 की 0.2280 है0 प0 नं0 339/429 (34) किला नं. 1/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 1/2 की 0.2280 है0, 2/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 2/2 की 0.2280 है0, 3/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 3/2 की 0.2280 है0, 4/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4/2 की 0.2280 है0, 5/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/2 की 0.0260 है0 गै0 मु0 खाला, 5/3 की 0.2020 है0, 6/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 6/2 की 0.2280 है0, 7 ता 14 प्रत्येक की 0.2530 है0, 15/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 15/2 की 0.2280 है0, 16/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 16/2 की 0.2280 है0, 17 ता 20 की 0.2530 है0 प0 नं0 340/428 (24) किला नं. 8 ता 14, 17 ता 24 प्रत्येक की 0.2530 है0 प0 नं0 340/429 (35) किला नं. 1/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 1/2 की 0.2280 है0, 2/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 2/2 की 0.2280 है0, 3/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 3/2 की 0.2280 है0, 4/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4/2 की 0.2280 है0, 7 ता 14, 19, 20 प्रत्येक की 0.2530 है0 कुल खसरे 90 की कुल तादादी 18.4690 है0 भूमि जिसमें से 1/5 हिस्सा भूमि आशाराम पुत्र. बींझाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

आशाराम पुत्र बींझाराम फौत हो चुका है जिसके लड़के गिरधारी, भोपाल, कुनणराम, प्रयाग भी फौत हो चुके हैं तथा पुत्री पूर्णी देवी मौजूद है। प्रयाग के वारिस वादी संख्या 1 तथा

उपस्थिति अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 व भोपाल के वारिस वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 11 ता 16 है, गिरधारी के वारिस प्रतिवादी संख्या 17 ता 23 व कुनणराम के वारिस प्रतिवादी संख्या 24 ता 30 है। वादीगण की बुआ पूर्णी देवी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ता 10 ने अपना हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 12 ता 17 ने अपना हक हिस्सा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 11 के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 19 ता 23 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी 17, 18 के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 28, 29 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 24 ता 27 के पक्ष में परित्याग कर दिया था बाद हक त्याग इनका कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है इसलिए वाद भूमि में वादीगण आशाराम का नाम कलमजन करवाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के संयुक्त रूप से 1/20 हिस्सा, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 11 के 1/20 हिस्सा दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा खातेदार गिरधारी ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा 18.11.2020 को अपना समस्त हिस्सा कुनणराम को बेच दिया इसलिए गिरधारी व इनके वारिसों का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा कुनणराम भी फौत हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 24 ता 28 है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 24 ता 27 प्रत्येक के 1/10 हिस्सा दर्ज किया जावे। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 16 व प्रतिवादीगण संख्या 24 ता 31 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 व प्रतिवादीगण संख्या 24 ता 31 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 23 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नहीं अतः प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 23 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 32 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण आशाराम, गिरधारी, भोपाल, कुनणराम, प्रयाग के पेश किये व शपथ पत्र बाबत सदस्य पेश किया जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।


उपजज अधिकारी
नोडर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आशाराम पुत्र बींझाराम के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है। आशाराम पुत्र बींझाराम फौत हो चुका है जिसके लड़के गिरधारी, भोपाल, कुनणराम, प्रयाग भी फौत हो चुके है तथा पुत्री पूर्णी देवी मौजूद है। प्रयाग के वारिस वादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 व भोपाल के वारिस वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 11 ता 16 है, गिरधारी के वारिस प्रतिवादी संख्या 17 ता 23 व कुनणराम के वारिस प्रतिवादी संख्या 24 ता 30 है। वादीगण की बुआ पूर्णी देवी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ता 10 ने अपना हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 12 ता 17 ने अपना हक हिस्सा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 11 के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 19 ता 23 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी 17, 18 के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 28, 29 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 24 ता 27 के पक्ष में परित्याग कर दिया था बाद हक त्याग इनका कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है इसलिए वाद भूमि में वादीगण आशाराम का नाम कलमजन करवाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के संयुक्त रूप से 1/20 हिस्सा, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 11 के 1/20 हिस्सा दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा खातेदार गिरधारी ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा 18.11.2020 को अपना समस्त हिस्सा कुनणराम को बेच दिया इसलिए गिरधारी व इनके वारिसों का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा कुनणराम भी फौत हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 24 ता 28 है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 24 ता 27 प्रत्येक के 1/10 हिस्सा दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण 1 ता 16 व प्रतिवादीगण संख्या 24 ता 31 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।


पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 29/29 की कुल 18.4690 है० भूमि जिसमें से 1/5 हिस्सा भूमि आशाराम पुत्र. बींझाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि आशाराम पुत्र बींझाराम फौत हो चुका है जिसके लड़के गिरधारी, भोपाल, कुनणराम, प्रयाग भी फौत हो चुके है तथा पुत्री पूर्णी देवी मौजूद है। प्रयाग के वारिस वादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 व भोपाल के वारिस वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 11 ता 16 है, गिरधारी के वारिस प्रतिवादी संख्या 17 ता 23 व कुनणराम के वारिस प्रतिवादी संख्या 24 ता 30 है। वादीगण की बुआ पूर्णी देवी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ता 10 ने अपना हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 12 ता 17 ने अपना हक हिस्सा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 11 के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 19 ता 23 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी

17, 18 के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 28, 29 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 24 ता 27 के पक्ष में परित्याग कर दिया था बाद हक त्याग इनका कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है इसलिए वाद भूमि में वादीगण आशाराम का नाम कलमजन करवाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के संयुक्त रूप से 1/20 हिस्सा, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 11 के 1/20 हिस्सा दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा खातेदार गिरधारी ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा 18.11.2020 को अपना समस्त हिस्सा कुनणराम को बेच दिया इसलिए गिरधारी व इनके वारिसों का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा कुनणराम भी फौत हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 24 ता 28 है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 24 ता 27 प्रत्येक के 1/10 हिस्सा दर्ज किया जावे, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण स0 1 ता 16 व प्रतिवादीगण संख्या 24 ता 31 द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 व प्रतिवादीगण संख्या 24 ता 31 को कोई ऐतराज नही है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 29/29 के कुल खसरे 90 की कुल तादादी 18.4690 है0 भूमि में मृतक आशाराम पुत्र बींझाराम का नाम कलमजन किया जाकर उसकी जगह पर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2, 3 को संयुक्त नाम से 1/20 हिस्सा भूमि का व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 11 को 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 24 ता 27 प्रत्येक को 1/10 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -39/2017

अनवान : -

1. मेघसिंह पुत्र प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
2. मांगीलाल पुत्र भोपाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. लिछमा देवी पत्नी प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
2. जुगलाल पुत्र प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र पुत्र प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
4. दुर्गा देवी पुत्री प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
5. कलावती पुत्री प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
6. परमेश्वरी उर्फ राधा देवी प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
7. सन्तोष पुत्री प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
8. शकुन्तला पुत्री प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
9. मंजू पुत्री प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
10. कमलेश पुत्री प्रयाग जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
11. सन्तलाल पुत्र भोपाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
12. सीता देवी पुत्री भोपाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
13. बिमाल देवी पुत्री भोपाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
14. भगवन्ती पुत्री भोपाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
15. सुमित्रा उर्फ गुडी पुत्री भोपाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
16. पुष्पा देवी पुत्री भोपाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
17. भादरसिंह पुत्र गिरधारीलाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
18. हिरालाल पुत्र गिरधारीलाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
19. कृष्णा पुत्री गिरधारीलाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
20. पार्वती पुत्री गिरधारीलाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
21. नस्का देवी पुत्री गिरधारीलाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
22. कलावती देवी पुत्री गिरधारीलाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
23. धापा पुत्री गिरधारीलाल जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
24. मोमनराम पुत्र कुनणराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
25. तुलछीराम पुत्री कुनणराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
26. भूराराम पुत्री कुनणराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
27. राम कुमार पुत्र कुनणराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
28. सन्तोष पुत्री कुनणराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।

अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

29. पूरा देवी पत्नी कुनगराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर ।
30. पूर्णी देवी पुत्री आशाराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर ।
31. भीखी देवी पुत्री आशाराम जाति सैनी निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर ।
32. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।


— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1222 सन 2024 निर्णय दिनांक 2/6/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 29/29 के कुल खसरे 90 की कुल तादादी 18.4690 है 0 भूमि में मृतक आशाराम पुत्र बींझाराम का नाम कलमजन किया जाकर उसकी जगह पर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2, 3 को संयुक्त नाम से 1/20 हिस्सा भूमि का व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 11 को 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 24 ता 27 प्रत्येक को 1/10 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/6/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर